

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक F-6-21/2022/20-3

प्रेषक,

नवा रायपुर, दिनांक

आर.पी. वर्मा
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रेषिती,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (C.B.S.E.),
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय:-

सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत-अशासकीय कृष्णा पब्लिक स्कूल, कुटेलाभाठा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय कृष्णा पब्लिक स्कूल, कुटेलाभाठा, दुर्ग (छ.ग.) को कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं तक शिक्षा सत्र 2023-24 से सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम (C.B.S.E.), नई दिल्ली से संबद्धता के लिए अनापत्ति स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2008/20-तीन दिनांक 09-07-2013 में दिये गए निर्देशों का पालन किये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।

(आर.पी.0 वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक F-6-21/2022/20-3

प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 23-12-2022

- 01- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर ।
- 02- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक अनुदान/CBSE/NOC/2022/638, दिनांक 19-12-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
- 04- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
- 05- प्राचार्य, अशासकीय कृष्णा पब्लिक स्कूल, कुटेलाभाठा, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 06- रजिस्ट्रार, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।

MANAGER

KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)

PRINCIPAL

KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन सिंह भवन-रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 9/07/2013

क्रमांक एफ 6-1/2008/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० एवं अन्य बोर्ड से संबद्धता के लिए विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 6-1/2008/20-तीन दिनांक 14.01.2008 को अधिकमित करते हुये निम्नानुसार नीति निर्धारण किया जाता है :-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं उनका लान प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
2. विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली (सी०बी०एस०सी०/आई०सी०एस०ई०) द्वारा प्रपत्र में समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० से सम्बद्धता उपरान्त संस्थाएं राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाइड्स, रेडक्रास, एन०सी०सी० एवं एन०एस०एस० की गतिविधियों में भाग लेंगी।
4. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों को गतिविधियों के लिये खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करावेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाये।
5. इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
6. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के उपरान्त भी छ०ग० राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने के लिये संस्था बाध्य होगी। पालन करने का वचन पत्र संस्था से प्राप्त किया जावेगा।
7. संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
8. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)

Dushyant Kumar
PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)

//2//

9. अशाराकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम, प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
10. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुला बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
11. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
12. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
13. निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. संस्था को पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं छ0ग0 शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।
15. राज्य शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न स्थितियों में समाप्त किया जा सकेगा :-

- (1) उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है।
- (2) राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तथा निरीक्षण नहीं करने दिया जाता है।
- (3) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।
- (4) यदि संस्था राष्ट्र के प्रति विरोधात्मक गतिविधियों में संलग्न पायी जाती है।
- (5) समाज के विभिन्न समुदायों में घृणा एवं वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करती है।

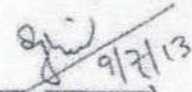
shakar.order
MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG

1/3/1
Dushyant Kumar
PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)

// 3 //

- (6) शांतिपूर्वक शैक्षणिक कार्य में व्यवधान डालते हुए संस्था की प्रबंध समिति विवादग्रस्त है।
- (7) संस्था ऐसे कार्यों में लिप्त पायी जाती है जो शासन की राय में अवैधानिक हों।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एम.प्र.न. राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

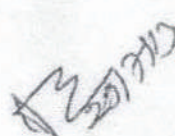
लोक शिक्षण संचलानालय
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक / विद्या / सी.बी.एस.ई. / 2013-14 / 440,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 01/08/2013

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
 2. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
 3. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
 4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर रायपुर।
 5. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)


संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
KUTELABHATA, BHILAI-DURG (C.G.)